भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1393
10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छोटे शहरों में खाद्य गुणवत्ता

1393. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिकतर डिब्बाबंद/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पोषण मानकों के हिसाब से अस्वास्थ्यकर हैं और दीर्घकालीन रोगों और व्याधियों के कारक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त खाद्य उत्पादों के लिए न्यूनतम पोषण मानक निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या छोटे शहरों और कस्बों में दुकानों में उपलब्ध अधिकांश खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुकानों में भोजन की गुणवत्ता, छोटे शहरों और कस्बों में पोषण की गुणवत्ता की निगरानी पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) छोटी दुकानों में खाद्य गुणवत्ता सूचकांक बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि पैक/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित सभी खाद्य सामग्रियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। एफएसएसएआई ने पैक खाद्य की लेबलिंग हेतु अपेक्षाएं निर्धारित करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 अधिसूचित किया है। विनियम में पोषक तत्वों के प्रदर्शन और पोषण संबंधी जानकारी के रूप में पैक के पीछे पोषक तत्वों और प्रतिशत के रूप में अनुशंसित दैनिक खुराक (आरडीए) उनके अंश की मात्रा प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है ताकि उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जा सके। खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के लिए इन विनियमों के अनुसरण में खाद्य उत्पाद के पैक पर लेबल लगाना अनिवार्य है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्पाद विशेष के लिए गुणवत्ता और न्यूनतम पोषण मानदंडों सहित यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं, खाद्य उत्पादों को निगरानी, मॉनीटरिंग, निरीक्षण और औचक नमूनाकरण करके छोटे शहरों/कस्बों में दुकानों और छोटे स्टोरों सहित में नियमित रूप से प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। गैर-अनुरूपता के मामले में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

******